न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 1253/2017 प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

अनवान

1. किशनसिंह पिता विजयसिंह राजपूत निवासी तिरोली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

--प्रार्थी

बनाम

1. शिवसिंह पिता चमनसिंह राजपूत निवासी तिरोली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. भैरूसिंह पिता चमनसिंह राजपूत निवासी तिरोली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

--विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः– 15/11/19

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तिरोली तह. सहाडा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 453 रकबा 0.54 है.किस्म चाही द्वितीय, 454 रकबा 0.62 हे0 किस्म चाही द्वितयी कुल किता 2 रकबा 1.16 हे0 भूमि स्थित है। इसी प्रकार आराजी संख्या 431 रकबा 0.07 हे0 किस्म गेमु0 आचा स्थित है।

प्रार्थी की आराजियात में आवागमन का कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में नहीं है। तथा सामलाती चाह संख्या 431 से अपनी आराजी संख्या 453, 454 में आवागमन करने व सिंचाई का धोरा बनाने में संज बैल सहित आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि चाह संख्या 431 आम रास्ते से लगा हुआ है व आराजी संख्या 431 से अपनी आराजी संख्या 453 व 454 में संज बैल सहित आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या एक व दो की आराजी संख्या 447 , 448 की दक्षिण पाली से आवागमन का रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

यह कि प्रार्थी के आवागमन के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा विपक्षी संख्या 1 से 2 की आराजी नं. 447, 448 के दक्षिण मेड़ से 10 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है क्योंकि उक्त रास्ता दिलाये जाने से प्रार्थी को सामलाती चाह संख्या 431 में आवागमन करने में भी सुविधा हो जायेगी तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 447, 448 में दिया जाने वाला रास्ता सबसे कम दूरी का व सबसे सुविधाजनक रास्ता है जिससे प्रार्थी उक्त आराजी में से रास्ते की मांग कर रहा हैं व उक्त रास्ते को बिलानाम रास्ता दर्ज हो जायेगा जिससे दिगर खातेदारों को भी सुविधा हो जायेगी। इसके अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं हैं।

यह कि प्रार्थी को ग्राम तिरोली की आराजी संख्या 453, 454 में में आवागमन करने के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 447, 448 की दक्षिणी मेड से 10 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। कारण प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2017 को पैदा हुआ जब विपक्षीगण ने प्रार्थी को आवागमन से मना कर दिया।

प्रार्थी ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि ग्राम तिरोली की आराजी संख्या 453, 454 में में आवागमन करने के लिऐ विपक्षीगण की आराजी संख्या 447, 448 की दक्षिणी मेड से 10 फीट चौडा रास्ता दिलाया जावे व नक्शें में रास्ता फीट करके बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावें।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.07.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण नं. 1 व 2 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

Scanned by CamScanner

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 07.06.2019 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसार ग्राम तिरोली प0ह0 सरगांव के आराजी नं0 447, 448 व 429 में कोई रास्ता नहीं है। तथा वर्तमान में आराजी संख्या 472 व 476 में डोटेड रास्ते से आवागमन कर रहे है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में यह तथ्य पाया कि उक्त चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई सुगम व निकटतम रास्ता उपलब्ध नही है। सिर्फ मौसमी रास्ता ही उपब्ध है। उक्तानुसार आराजी नं0 429 में से 0.01 हे0, आराजी नं0 448 में से 0.0150 हे0 एवं आराजी नं0 447 में से 0.0150 हे0 कुल 0.04 हे0 भूमि रास्ता बनता है। ग्राम तिरोली की असिंचित पास की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 168147/– प्रति हैक्टयर है। उक्त भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 6737/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 13474 /– होती है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्राथी ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम तिरोली की आराजी संख्या 453, 454 में में आवागमन करने के लिऐ विपक्षीगण की आराजी संख्या 447, 448 की दक्षिणी मेड मेड से आवागमन करने के अलावा अन्य कोई भी रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी को अपनी कुषि भुमि आ.न. 453, 454 है ये आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिऐ विपक्षीगण की आराजी संख्या 447, 448 की दक्षिणी मेड से 10 फीट चौडा रास्ता भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम तिरोली की आराजी संख्या 453 , 454 में आने जाने के लिऐ विपक्षीगण की ग्राम तिरोली की आ. न. 447, 448 की दक्षिण मेड 10 फीट चौड़ा रास्ता यानी आराजी संख्या 429 में से 0.01 हे0 , आराजी नं0 447 में से 0.0150 हे0 एवं आराजी नं0 448 में से 0.0150 हे0 कुल 0.04 हे0 भूमि रास्ता हेतु उपयोग में आयेगी जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 168147/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार बनने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 6737/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 13474 /–प्रार्थी विपक्षीगण खातेदार न. 1 व 2 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.03 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 13474/– प्रार्थी से वसुल कर विपक्षीगण नं0 1 व 2 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम तिरोली की आ. न. 447, 448 की दक्षिण मेड 10 फीट चौड़ा रास्ता यानी आराजी नं0 429 में से 0.01 हे0, आराजी नं0 447 में से 0.0150 हे0 एवं आराजी नं0 448 में से 0.0150 हे0 कुल 0.03 हे0 भुमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/11/19 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.11.15 15:38:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: